न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष

प्रकरण कमाक निगरानी 4137–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–9–2009 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर प्रकरण कमांक 111/2007–08/अपील.

1– रामसहाय पुत्र हरीराम
2– कमलसिंह पुत्र हरीराम
निवासीगण ग्राम पदमपुर
तहसील व जिला ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

हरीराम पुत्र छोटेलाल
निवासी ग्राम गोशाला पदमपुर
तहसील व जिला ग्वालियर .....अनावेदक

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 24 जून, 2014)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 26–9–2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार वृत मुरार, ग्वालियर के समक्ष मौजा मुरार, परगना व जिला ग्वालियर स्थित भूमि सर्वे कमांक 28/2

मिन–2 रकबा 0.131 हेक्टेयर एवं 243/2 मिन 2 के बटांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अपर तहसीलदार, मुरार ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 77/अ–3/06–07 दर्ज किया जाकर दिनांक 20–6–2007 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमियों का बटांकन स्वीकृत किया गया । अपर तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26–9–2009 को आदेश पारित कर अपर तहसीलदार का आदेश दिनांक 20–6–2007 निरस्त किया गया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि समस्त पक्षकारों को समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का निराकरण गुण–दोष के आधार पर किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्कों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए हैं :–

(1) अनावेदक ने विचारण न्यायालय में पारित किए गए बटांकन आदेश दिनांक 20–6–2007 के निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की, और उक्त अपील में यह मुद्दा उठाया कि अनावेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया । आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का खण्डन किया गया, और बताया गया कि अनावेदक को विधिवत चस्पा के द्वारा तामील कराई गई है, इसलिए यह कहना कि अनावेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किये बगैर केवल यह लिखकर कि बटांकन प्रस्ताव पर कोई आपत्तियां आमंत्रित नहीं की गई, विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध व नियमों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

(2) विचारण न्यायालय द्वारा मौके के कब्जे के अनुसार बटांकन प्रस्ताव तैयार किये गये थे, किन्तु अनावेदक जानबूझकर विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, और न ही उसके द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई थी । विचारण न्यायालय की कार्यवाही की जानकारी होते हुए भी वह न्यायालय में स्वयं उपस्थित नहीं हुआ, इससे स्पष्ट है कि

अनावेदक को विचारण न्यायालय की पूर्ण जानकारी थी, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का यह कहना कि अनावेदक को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बगैर विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, प्रस्तुत रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

(3) अनावेदक, आवेदकगण का पिता है, जो कि ग्राम में ही निवास करता है, और उसे विचारण न्यायालय द्वारा मंगाये गये बटांकन प्रस्ताव की जानकारी है, क्योंकि जिस समय राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर बटांकन की कार्यवाही की गई थी, उस समय वह मौजूद था, किन्तु उसके द्वारा बटांकन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए गए, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का यह कहना कि अनावेदक को बटांकन प्रस्ताव की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वह आपत्ति नहीं कर सका, स्व–विवेक तथा प्रस्तुत रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

(4) अधीनस्थ न्यायालय का आदेश सकारण आदेश नहीं है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदक द्वारा जो तर्क प्रस्तुत किए गए थे, उन तर्कों की विवेचना किए बगैर ही तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत तर्क क्यों माने जाने योग्य नहीं है, इस संबंध में कोई निष्कर्ष निकाले बगैर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक की अपील स्वीकार किए जाने का जो आदेश पारित किया गया है, उक्त आदेश निरस्त किए जाने योग्य है ।

(5) अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं है, क्योंकि उन्होने अनावेदक की अपील स्वीकार करते हुए आदेश में कोई ठोस कारण अंकित नहीं किए हैं, महज अनावेदक को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तथा रिकार्ड के विपरीत आदेश पारित किया है, इसलिए उक्त आदेश निरस्त किया जावे ।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत भी अनुपस्थित ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्कों में उठाए गए आधारों के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर तहसीलदार द्वारा बटांकन प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत उद्घोषणा जारी किए जाने के निर्देश दिये गये हैं, और प्रकरण में दिनांक

11–4–2007 की तिथि नियत की गई है, परन्तु प्रकरण में उद्घोषणा का प्रकाशन नहीं किया गया है । तहसीलदार द्वारा बटाकन प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत बटांकन प्रस्ताव पर आपित्तयां भी आमंत्रित नहीं की गई है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण समस्त पक्षकारों को समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुण–दोष पर निराकरण किए जाने हेतु प्रत्यावर्तित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । इस सबध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाया गया यह आधार मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि अनावेदक पर चस्पीदगी से तामील की गई थी, और वह सूचना उपरांत उपस्थित नहीं हुआ एवं उसके द्वारा बटांकन कार्यवाही में भाग लिया गया है, परन्तु हस्ताक्षर नहीं किए गए, अतः अनुविभागीय अधिकारी का यह निष्कर्ष उचित नहीं है कि बटांकन प्रस्ताव पर कोई आपत्तियां आमंत्रित नहीं की गई है । क्योंकि जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा बटांकन प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत आपत्तियां आमंत्रित नहीं की गई है । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये अन्य आधारों में भी केवल यही दर्शाने का प्रयास किया गया है कि अनावेदक आवेदकगण का पिता है, और उसे बटांकन की जानकारी थी, जो कि मान्य योग्य नहीं है, कारण जैसे कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि बटांकन प्रस्ताव के उपरांत अनावेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–9–2009 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर